न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2015/46 (2015/00064) जिला–नागौर

इन्द्रचन्द पुत्र स्व0 बोदूराम जाति नायक निवासी कटारिया बास, डीडवाना जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. गुलाबचन्द पुत्र रघुनाथ जाति कटारिया निवासी कटारिया बास, डीडवाना फौत कायम मुकाम–
   1/1 बीदामी देवी पत्नी स्व0 गुलाबचन्द कटारियाबास, डीडवाना नागौर।
2. भोलाराम पुत्र दूलाराम जाति कटारिया निवासी फतेहपुरी गेट डीडवाना
3. मलाराम पुत्र घासीराम जाति कटारिया निवासी सिंधीबास, नीमड़ी चौराहा, डीडवाना जिला नागौर।
4. किशनाराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी कटारियाबास डीडवाना

————प्रत्यर्थीगण

5. मेवाराम पुत्र स्व0 दयालराम
6. मोहनराम पुत्र स्व0 दयालराम
7. सोहनराम पुत्र स्व0 दयालराम
8. दीपाराम पुत्र स्व0 चुन्नीलाल
9. कालूराम पुत्र स्व0 चुन्नीलाल
10. श्रीमती मेहरा पत्नी स्व0 चुन्नीलाल
    समस्त जाति मेघवाल निवासी कटारियाबास, डीडवाना जिला नागौर।
11. अब्दुल गफ्फार पुत्र स्व0 निजाम
12. श्रीमती जेनब पत्नी स्व0 अब्दुल मजीद
13. आदिल पुत्र स्व0 अब्दुल मजीद
    समस्त जाति पिनारा निवासी फतेहपुरी दरवाले के बाहर वाली कॉलोनी डीडवाना
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

————तरतीबी प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर
दिनांक 09–04–2015 अन्तर्गत अपील संख्या 23/2012
बउनवान गुलाबचन्द व अन्य बनाम सरकार व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री गौरव दवे अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश भट्टा अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1/1 व 2, 3, 8, 9

निर्णय

दिनांकः– 20–02–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष तहसीलदार, डीडवाना द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 47 दिनांक 20–4–2000, नामान्तकरण संख्या 2151 दिनांक 20–4–2000 एवं नामान्तकरण संख्या 2320 दिनांक 31–3–2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–4–2015 द्वारा अपील स्वीकार कर तीनों नामान्तकरण खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के उक्त आदेश दिनांक 9–4–2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपल मीमो में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त नामान्तकरणों की अपील भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी। उक्त नामान्तकरणों को गलत व अवैध बताते हुए एक नियिमत वाद उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के न्यायालय में दिनांक 23–11–2011 को प्रस्तुत किया गया था। मेघवाल समाज की भूमि जिसका पुराना खसरा नम्बर 1420 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा जिसका नया नम्बर 2574 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा है यह भूमि बापी कौम मेघवाल कटारिया भांबी समाज वासी के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा इसका पट्टा नम्बर 81/296 सम्वत 1981 का है। एक निजाम पिनारा की मृत्यु होने के कारण उसके वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 9, 10, 11 है। निजाम पिनारा एवं दयालराम की मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 3 से 11 के रूप में पक्षकार बनाया गया। भू–प्रबन्ध विभाग का पर्चा 304 में खातेदारी कटारिया

भांबीयान काश्त निजाम पिनारा के नाम से ही दर्ज रही है एवं उस सेटलमेंट विभाग के पर्चे पर साक्षी में निशान दयाल कटारिया भांबी दर्ज है। दिनांक 5–7–1968 को उक्त भूमि अपनी बताकर दयालराम पुत्र देदाराम भांबी को विक्रय कर दी तथा तहसीलदार डीडवाना ने बिना जांच किये नामान्तकरण दर्ज कर दिया। यह विक्रय पूर्णतया गलत एवं अवैध था। दयालराम की मृत्यु होने के बाद दिनांक 20–4–2000 को एक अन्य नामान्तकरण मेवाराम, मोहनराम, सोहनराम पुत्रान दयालराम के नाम फौतगी नामान्तकरण भरा गया उसमें दयालराम की मृत्यु दिनांक 21–11–1982 को होना दर्ज किया गया इनके वारिसान ने यह भूमि दिनांक 10–5–2000 को इन्द्रचन्द पुत्र बोदुराम को विक्रय कर दिया और इस विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 31–3–2000 को नामान्तकरण संख्या 2320 इन्द्रचन्द पुत्र बोदुराम कौम नायक के नाम स्वीकार किया गया। अनुसूचित जाति की भूमि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी दर्ज की जा सकती है इस प्रकार समस्त भरे गये नामान्तकरण गलत गैर कानूनी एवं प्रभावशून्य है और धारा 46(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध है इसलिए समस्त नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 द्वारा नामान्तकरण निरस्त करने व भूमि पुनः बापी कौम मेघवाल कटारिया भांबी समाज के नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 9–4–2015 को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की अपील स्वीकार करते हुए तीनों नामान्तकरण खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील भारी मियाद बाहर होने के कारण उन्होंने एक प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब को कंडोन करने के लिए अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने में कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील तीन अलग–अलग नामान्तकरण जो अलग–अलग तारीखों में अलग–अलग पीठासीन अधिकारियों द्वारा 1968 से लेकर 2001 यानि 33 वर्षो में पारित किये गये थे उनके विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई थी जो किसी भी रूप में संधारण योग्य नहीं थी और प्रत्येक नामान्तकरण के विरूद्ध अलग अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अपीलार्थी स्वयं नायक जाति का व्यक्ति है ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं है कि इन्द्रचन्द स्वयं अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। इस गांव में भांबी समाज के 60 घर है और अधीनस्थ न्यायालय में इन नामान्तकरणों के विरूद्ध उन्हें कोई शिकायत नहीं होना और उन नामान्तकरणों को सही बताया गया था ऐसी स्थिति में 60 में से बचे हुए 5 घरों के द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रतिनिधि अपील नहीं माना जा सकता है। प्रत्यर्थीगण ने इन्ही नामान्तकरणों को गलत एवं गैर कानूनी बताते हुए एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–11–2011 को वास्ते घोषणा, रेकार्ड दुरूस्ती एवं

चिरस्थाई आदेश का प्रस्तुत कर दिया था जिनमें इन्हीं नामान्तकरणों को एवं विक्रय पत्रों को गलत एवं गैर कानूनी करार दिये जाने का उल्लेख करते हुए दावा स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। ऐसी स्थिति में जब पूर्व से दावा विचाराधीन था तो नामान्तकरण जो एक समरी कार्यवाही है के संबंध में बाद में प्रस्तुत की गई अपील दिनंक 30–11–2011 का निस्तारण नहीं कर उन्हें वाद के निर्णय तक कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। अपीलार्थी द्वारा दो अलग–अलग प्रार्थना पत्र एक अन्तर्गत धारा 8 नियम 1 एवं दूसरा आदेश 22 नियम 3 एवं 11 प्रस्तुत किया गया था उनका अलग से निस्तारण किये बिना अपील का मेरिट पर निर्णय नहीं किया जाना चाहिए था। किन्तु उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु को नहीं समझते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–4–2015 निरस्त करते हुए तीनों नामान्तकरणों को बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की अपील मीमों पर की गई उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 /1, 2,3, 8, 9 के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि प्रत्यर्थीगण कटारिया (मेघवाल भांबी) समाज के अनुसूचित जाति के सदस्य है। कटारिया समाज की उक्त विवादित भूमि बापी कोम मेघवाल कटारिया भांबी समस्त बासी गांवरा के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसका राजस्थान मारवाड़ रियासत का पट्टा नम्बर 81/296 सम्वत् 1981 का बापी पट्टा है। उक्त भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी मेघवाल कटारिया समाज की चली आ रही है तथा कब्जा काश्त निर्बाध रूप से कटारिया समाज के लोगो का चला आ रहा है। सम्वत् 1981 की मिसल बन्दोबस्त एवं जमाबंदी सम्वत 2014–17 में भी उक्त भूमि बापी कोम मेघवाल कटारिया भांबी समस्त बासी गांवरा की खातेदारी दर्ज है। दोराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही विभाग के कर्मचारियों एवं दयाल पुत्र देदा की मिली भगत से पर्चा खतोनी एवं मिलान पत्रक में काश्तकार के रूप में निजाम पिनारा का नाम दर्ज कर दिया जो अनुसूचित जाति का नहीं है। उक्त भूमि की काश्त पूरा खटका करता था जो कि खसरा गिरदावरी में स्पष्ट दर्ज है अब कटारिया समाज के लोग करते है। निजाम पिनारा का नाम गिरदावरी में कहीं भी दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग से मिली भगत करके सवर्ण जाति का नाम समाज की भूमि पर काश्तकार के रूप में दर्ज करवाया है। विवादित आराजियात कटारिया समाज की पीढी दर पीढ़ी पुश्तैनी समाज की चली आ रही है। निजाम पिनारा को उक्त अनुसूचित जाति के समाज की भूमि विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं है। वैसे भी एक गैर खातेदार को भूमि विक्रय करने का अधिकार किसी भी तरह विधि मान्य नहीं है। फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 ने एवं 6 से 8 के पिता एवं पति ने अपीलार्थी इन्द्रचन्द पुत्र बोदूराम को दिनांक 10–5–2000 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त समाज की भूमि का बिना कब्जे व अधिकार के ही विक्रय कर दिया जबकि भूमि बापी कोम मेघवाल कटारिया भांबी बासी गांवरा के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना

द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व अध्ययन करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–4–2015 पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील मीमों पर सुनी बहस एवं लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात बापी कोम मेघवाल कटारिया भांबी समस्त बासी गांवरा के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि राजस्थान मारवाड़ रियासत का पट्टा नम्बर 81/296 सम्वत 1981 का बापी पट्टा है। उक्त भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी मेघवाल कटारिया समाज की चली आ रही है तथा कब्जा काश्त भी निर्बाध रूप से कटारिया समाज के लोगों का चला आ रहा है। सम्वत 1981 की मिसल बन्दोबस्त एवं जमाबंदी सम्वत 2014–17 में भी उक्त भूमि बापी कोम मेघवाल कटारिया भांबी समस्त बासी गांवरा की खातेदारी में दर्ज है। दौरोने भू–प्रबन्ध कार्यवाही विभाग के कर्मचारियों द्वारा निजाम पिनारा का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है। अनुसूचित जाति की भूमि को सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम नहीं की जा सकती है। निजाम पिनारा का नाम गिरदावरी में भी कहीं पर दर्ज नहीं है। निजाम पिनारा का उक्त अनुसूचित जाति के समाज की भूमि विक्रय करने का कोई हक अधिकार हीं है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि दिनांक 5–7–1968 को निजाम पिनारा ने उक्त भूमि पर अपना कथित कब्जा बताकर दयालाराम पुत्र देदाराम भाम्बी निवासी डीडवाना को विक्रय कर दी। तहसीलदार डीडवाना ने नामान्तरकरण की जांच किये बिना समाज को सूचना दिये बिना मौका देखे बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किये ही उक्त कथित स्टॉम्प के कथित बेचाननामा के जरिये ही दयालराम का नाम दर्जकर दिया जबकि उक्त भूमि पूर्णतया सम्पूर्ण गांववासी कटारिया समाज की है तथा निजाम को उक्त अनुसूचित जाति की भूमि विक्रय करने का किसी भी प्रकार से कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर किया गया नामान्तकरण अवैध व प्रारम्भ से ही शून्य है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (ख) का उल्लंघन होने से ऐसा अन्तरण आरम्भ से ही शून्य है। यह सही है कि अनुसूचित जाति की भूमि किसी भी सवर्ण जाति द्वारा विक्रय या हस्तांतरण की जाती है तो वह प्रारम्भ से ही शून्य होती है। एक गैर खातेदार व मुस्लिम को अनुसूचित जाति की भूमि विक्रय करने का किसी भी तरह कानूनी अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जाति वाले सदस्य की भूमि पर लम्बे समय से कब्जा व धोखाधड़ी द्वारा राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवा लेने मात्र से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है तथा ना ही विपरीत कब्जे की दलील ले सकते है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अनुसूचित जाति की भूमि पर स्वत्व अर्जित नहीं किया जा सकता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भू–प्रबन्ध विभाग को राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो। प्रस्तुत प्रकरण में बन्दोबस्त विभाग ने ''बापी कोम मेघवाल कटारिया भांबी समस्त बासी गांवरा'' के नाम खातेदारी की जगह ''बापी कोम कटारिया भांगीयान काश्त निजाम पिनारा'' के नाम पर्चा लगान नं0 304 में गलत रूप से बिना किसी न्यायालय के आदेश के सवर्ण जाति के नाम कर दी उसे निजाम पिनारा में अन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा आगे उक्त भूमि दयालराम को बेचान कर दी। भू–प्रबन्ध विभाग को इस तरह का राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने का कोई हक अधिकार नहीं है सामान्य ऑप्रेशन तक की शक्तिया सीमित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–4–2015 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–04–2015 अन्तर्गत अपील संख्या 23/2012 बउनवान गुलाबचन्द व अन्य बनाम सरकार व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर